



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 15, 2012/आश्विन 23, 1934

No. 524]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 2012/ASVINA 23, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2012

सा.का.नि. 763(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 की उप धारा (1), उप धारा (2), उप धारा (5) और उप धारा (8) और धारा 609 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी विनियम, 1956 का और संशोधन निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (संशोधन) विनियम, 2012 है।  
(2) ये 15 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी विनियम, 1956 के विनियम 2 के खंड (घ) में -  
(i) क्रम संख्या (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
“(v) प्रादेशिक निदेशक	पूर्वी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा राज्य”;

- (ii) क्रम संख्या (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
“(vii) प्रादेशिक निदेशक	पूर्वोत्तर क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, गुवाहाटी	मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य”;

[फा. सं. 5/18/2005-सीएल.-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र में का.नि.आ.संख्या-432ख, तारीख 18.02.1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित द्वारा उसमें पश्चात्तर्वी संशोधन किए गए:-

1. सा.का.नि.संख्या-188, तारीख 09.01.1958
2. सा.का.नि.संख्या-399, तारीख 24.03.1962
3. सा.का.नि.संख्या-1850, तारीख 01.12.1966
4. सा.का.नि.संख्या-1445, तारीख 16.09.1967
5. सा.का.नि.संख्या-668, तारीख 10.06.1973
6. सा.का.नि.संख्या-523, तारीख 11.07.1989
7. सा.का.नि.संख्या-367(अ), तारीख 31.05.1991
8. सा.का.नि.संख्या-924(अ), तारीख 14.12.1992
9. सा.का.नि.संख्या-610(अ), तारीख 23.09.2005
10. सा.का.नि.संख्या-1291(अ), तारीख 30.07.2007
11. सा.का.नि.संख्या-866(अ), तारीख 29.10.2010
12. सा.का.नि.संख्या-304(अ), तारीख 06.04.2011
13. सा.का.नि.संख्या-453(अ), तारीख 14.06.2011
14. सा.का.नि.संख्या-887(अ), तारीख 16.12.2011

### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2012

**G.S.R. 763(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (5) and (8) of section 25 and sub-section(2) of section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Companies Regulations, 1956, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Companies (Amendment) Regulations, 2012.
- (2) They shall come into force with effect from the ...15<sup>th</sup> October, 2012.

2. In the Companies Regulations, 1956, in regulation 2, in clause (d)-

(i) for serial number (v) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-

(1)	(2)	(3)
“(v) Regional Director	Eastern Region Directorate Headquarter at Kolkatta	States of West Bengal, Bihar, Jharkhand and Orissa.”;

(ii) after serial number (vi) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)
“(vii) Regional Director	North Eastern Region Directorate Headquarter at Guwahati	Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur and Tripura.”.

[F. No. 5/18/2005-CL.-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

**Note :** The Principal regulations were published in the Gazette of India *vide* no. S.R.O. 432B, dated 18.02.1956 and subsequently amended by:-

1. No. GSR 188 dated 9-1-1958
2. No. GSR 399 dated 24-3-1962
3. No. GSR 1850 dated 1-12-1966
4. No. GSR 1445 dated 16-9-1967
5. No. GSR 668 dated 10-06-1973
6. No. GSR 523 dated 11-7-1989
7. No. GSR 367 (E) dated 31-5-1991
8. No. GSR 924 (E) dated 14-12-1992
9. No. GSR 610 (E) dated 23-9-2005
10. No. SO 1291 (E) dated 30-7-2007
11. No. GSR 866 (E) dated 29-10-2010
12. No. GSR 304 (E) dated 6-4-2011
13. No. GSR 453 (E) dated 14.06.2011
14. No. GSR 887 (E) dated 16.12.2011.